

कार्यालय नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक जी०बी०/लेखा/1/2022-23

भोपाल दिनांक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर्स,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश,

विषय:- मुद्रण सामग्री प्राप्त करने हेतु देयक की राशि का अग्रिम भुगतान करने के संबंध में।

-0-

शासकीय मुद्रणालय (Govt Press) से मुद्रण सामग्री प्राप्त करने हेतु सामग्री की राशि का चालान मद क्रमांक 0058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण 200- अन्य प्राप्ति में एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि इस विभाग के GST No. 23AAALD0979P3ZR में पृथक-पृथक चालान कोषालय/बैंक में जमा कर चालान की मूल प्रति शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में प्रस्तुत करने के उपरांत ही प्राप्त की जा सकती है।

2- जिन कार्यालयों में मुद्रण सामग्री के देयको का भुगतान लंबित है, यथाशीघ्र लंबित राशि का भुगतान कर चालान की मूलप्रति मुद्रणालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में जीएसटी विलम्ब पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क की वसूली संबंधित कार्यालय से की जावेगी।

- 5d -  
(श्रीमन् शुक्ला)  
नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म.प्र. भोपाल।

पृ०क्र०जी०बी०/लेखा/1/2022-23/2098

भोपाल दिनांक 11/10/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क भोपाल
- 2- उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री/शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मांगकर्ता कार्यालय को मुद्रण सामग्री का प्रदाय क्रेडिट बेसिस (उधारी) में कदापि ना किया जावे एवं मुद्रणालय उपयोग हेतु क्रय की गई सामग्री एवं अन्य कार्य से प्राप्त देयको पर इस विभाग के GST No. 23AAALD0979P3ZR अंकित हो यह सुनिश्चित होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही करें।
- 3- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उक्त आदेश को अपलोड किये जाने हेतु।
- 4- नियंत्रक के स्टेनों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Q

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म.प्र. भोपाल।

वेबसाइट

11 OCT 2022



विषय : शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय हेतु बैंक खाता खोलने की अनुमति बाबत ।

छब्बीस-२ सचिव

का विभाग

विभागीय प्रस्ताव के संबंध में लेख है कि IFMIS के अंतर्गत GST कटौती के भुगतान के संबंध में संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. के पत्र क./डी टी ए/IFMS/2019/560 भोपाल (flag A) दिनांक 11/01/2019 का अवलोकन हो। उक्त पत्र के निर्देशानुसार IFMIS में कार्यवाही की जा सकती है। इसमें आंशिक संशोधन By Transfer शीर्ष 8658-00-139-0000 में जमा किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा GSTN पोर्टल पर एक CPIN Generate किया जावेगा। जो कि एक VIRTUAL account की तरह कार्य करेगा एवं 15 दिवस की अवधि तक वैध रहेगा। GST REFUND देयक में CPIN की प्रविष्टि की जाएगी। विस्तृत दिशा - निर्देश उक्त पत्र में दिए गए हैं।

तदनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(प्रमुख सचिव वित्त द्वारा अनुमोदित)

*[Signature]*  
20-5-22

अवर सचिव  
वित्त विभाग, बजट-5

प्रमुख सचिव  
राजस्व विभाग

प. 3/N

*[Signature]*  
DS (6)

*[Signature]*  
23/5/22

*[Signature]*  
SO (6)

*[Signature]*  
23/5/22

P-3/N पर कार्यालय नियंत्रण प्रेष के प्रस्ताव के संदर्भ में उपरोक्त में वित्त विभाग द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के लिये नस्ली रूपया कार्यालय नियंत्रण प्रेष को अंगीकृत कला जाहे।

D.S. Madam

*[Signature]*  
24.5.22

100

यू.ओ. क्रमांक 195/2021/बजट-05  
दिनांक 20/05/2022

R. S. S. S.

1249/05M/D.S.  
23/5/2022  
24/5/2022

मसं. 930/2021/बजट-5/2021  
दिनांक 23-05-2022  
आवक विवरण 23-05-2022

14  
241

संचालनालय कोष एवं लेखा  
मध्यप्रदेश

क्र०/डीटीए/IFMIS/2019/560  
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 11/01/2019

समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।  
समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :- IFMIS अंतर्गत जी.एस.टी. कटौती के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- Govt. of India, ministry of finance, Department of revenue F.No.S.31011/11/2018-ST-  
I-DoR, New Delhi, Dated 14-09-2018

—000—

विषयांतर्गत विभिन्न देयकों में से जीएसटी कटौती करने एवं जीएसटी टीडीएस की राशि को संबंधित खाते में भुगतान हेतु IFMIS अंतर्गत आर एण्ड डी मॉड्यूल में सुविधा प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र के अनुसार आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा देयक में से 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशि को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 8658-00-101-0121 में जमा किया जाएगा।

139 - 560

विभिन्न देयकों से काटे गये एवं उपर्युक्त शीर्ष में जमा जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशि को संबंधित खाते में जमा करने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर लॉगिन कर उपर्युक्त संस्पेंस अकाउंट में जमा जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशियों के लिए एक CPIN जनरेट किया जाएगा।

जनरेटेड CPIN के विरुद्ध ग्राह/सप्ताह में काटी गई कुल टी.डी.एस. राशि को IFMIS अंतर्गत निम्न नेवीगेशन से जी.एस.टी. रिफण्ड देयक तैयार कर रिजर्व बैंक के संबंधित खाते में जमा किया जाएगा।

R&D > Bill creation > Create offline bill > GST Refund bill